विविध बैंक प्र0सं0 22/2018 भारतीय स्टेट बैंक शाखा इण्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम 1–मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, प्रो0 श्री रवि बजाज पुत्रश्री काहन चंद बजाज निवासी दुकान न0 18, गीता भवन, लक्कड़ मण्डी रोड़, श्रीगंगानगर व मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर–ऋणी 2–श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.03.2018

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनके द्वारा फहरिस्त सूचि के साथ रजिस्ट्री रसीद की प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 26.02.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, प्रो0 श्री रवि बजाज पुत्र श्री काहन चंद बजाज निवासी दुकान न0 18, गीता भवन, लक्कड़ मण्डी रोड़, श्रीगंगानगर व मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 40,00,000/–रूपये (अखरे चालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 24.03.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर (किला न0 8, मु0न0 53, चक 1ए छोटी) साईज 20' गुण 45' वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 23.10.2017 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 24.10.2017 तक ऋण राशि 42,46,800/–रूपये (ब्याज दिनांक 23.10.2017 तक) एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 24.10.2017 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। रजि0 एडी रसीद एवं पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण विवरण के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 श्री रवि बजाज द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए अप्राथीर्या गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर (किला न0 8, मु0न0 53, चक 1ए छोटी) साईज 20' गुण 45' वर्गफुट का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, प्रो0 श्री रवि बजाज पुत्र श्री काहन चंद बजाज निवासी दुकान न0 18, गीता भवन, लक्कड़ मण्डी रोड़, श्रीगंगानगर व मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 40,00,000/—रूपये (अखरे चालीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 24.03.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थीय गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर ने अपनी अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर (किला न0 8, मु0न0 53, चक 1ए छोटी) साईज 20' गुण 45' वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, प्रो0 श्री रवि बजाज पुत्र श्री काहन चंद बजाज व गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खान चंद को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 24.10.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस जारी किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी मैसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, प्रो0 श्री रवि बजाज पुत्र श्री काहन चंद बजाज निवासी दुकान न0 18, गीता भवन, लक्कड़ मण्डी रोड़, श्रीगंगानगर व मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर व गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस दिनांक 24.10.2017 को भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्ट्र रसीदें, रजि0 एडी रसीदें व पोस्ट ऑफिस के डाक वितरण विवरण के के अनुसार रजि0 डाक से भिजवाये गये नोटिस दिनांक 28.10.2017 को अप्रार्थीगण को वितरित किये जा चुके है। प्रार्थी बैंक के धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थीगण को उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से मांगपत्र के उत्तर में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नही किया और न ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर (किला न0 8, मु0न0 53, चक 1ए छोटी) साईज 20' गुण 45' वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा इण्डस्ट्रीयल एरिया, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति वनिता बजाज पत्नि श्री खानचंद बजाज निवासी मकान न0 46बी फर्स्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी गयी रिहायशी सम्पत्ति मकान न0 46बी फस्ट, गली न0 4, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर (किला न0 8, मु0न0 53, चक 1ए छोटी) साईज 20′ गुण 45′ वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर